problems, non-availability of forest land, Shortage of funds, change in scope of the project etc.

There is a Monitoring and Evaluation Division located at Siliguri which monitors the progress of the project regularly. All the Central level monitoring is carried out by Central Water Commission.

सिंचाई परियोजनाओं हेतु योजनाएं

1023.**श्री रामजीलाल**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिंचाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गत दो वर्षो के दौरान कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई है;

(ख) परियोजनाएं कहां-कहां लगाई गई हैं और इन परियोजनाओं का कब तक उपयोग किए जाने की संभावना हैं;और

(ग) भविष्य के लिए कौन सी योजनाएं हैं तथा उनमें से हरियाणा में कितनी परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और(ख) सिंचाई राज्य का विषय और सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना,वित्त पोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है।

(क) हरियाणा राज्य के नौंवी योजना के प्रलेख में उनके द्वारा किए गये प्रस्ताव के अनुसार नई वृहद सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत(करोड़ रू.में)
1.	मेवात लिफ्ट सिंचाई	207.54
2.	घरौंदा सिंचाई	7.45
3.	जत्तीपुर माइनर	2.84
4.	लदवा सिंचाई	25.00
5.	नालवी सिंचाई	113.00

सिंचाई के प्रबंधन में किसानों को कानूनी सहायता दिया जाना

1024.**श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सिंचाई प्रणाली को बेहतर बनाने हेतु इसके प्रबंधन में किसानों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग)क्या हाल ही में दिल्ली में सिंचाई के संबंध में एक राष्ट्रीय सम्मलेन में कुछ सिफारिशें की गई थी;

(घ)यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;और

(ड़) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) चूंकि जल राज्य का एक विषय हैं इसलिए राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम पारित करने के लिए आवश्यक वैधानिक सहायता उपलब्ध करायी जानी हैं । तथापि,जल संसाधन मंत्रालय मे राज्य सरकारों को मौजूदा सिंचाई अधिनियमों में संशोधन करने अथवा सिंचाई प्रबंधन में सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए ऐसे नए अधिनियमों के बनाने का परामर्श दिया है जिसके अंतर्गत सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसान सक्रिय रूप से भाग ले सके । इस संबंध में राज्य सरकारों को समय-समय पर दिशा निर्देश उपलबध कराये गये हैं।

(ग) और(घ) जी,हां । सहभागिता सिंचाई प्रबंधन पर दिल्ली में जनवरी,1997 में आयोजित अतिंम राष्ट्रीय सम्मेलन में सिंचाई प्रबंधन में किसानों की सहभागिता के विषयमें सिफारिश की गयी थी जिसे संलग्र विवरण में दर्शाया गया है।

(ड़) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिये निम्रलिखित कार्रवाई की गयी हैं:-

जल के राज्य का विषय होने के नाते केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय की भूमिका सुविधादाता की है । जबकि राज्य सरकारों द्वारा सहभागिता सिंचाई प्रबन्धन का कार्यान्वित करना हैं । राष्ट्रीय जल नीति 1987 में सिफारिश की गयी है कि सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों को उत्तरोत्तर शामिल किया जाना चाहिए । सिंचाई प्रबंध में किसानों को शामिल करने के लिए उपाय करने के वास्ते राज्यों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

केन्द्र प्रायोजित विकास कार्यक्रम के तहत जल प्रयोक्ता संघों को एक समय में प्रति हैक्टेयर 500 रू.का क्रियात्मक अनुदान दिया जा रहा है । कर्मचारियों एंव किसानों के बीच जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय,राज्य और परियोजना स्तरों पर सिंचाई सहभागिता प्रबंधन पर अनेक सम्मेलन आयोजित किए गए । अधिकारियों एवं किसानों के लिए सहभागिता प्रक्रिया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजिक किए जा रहे हैं । राज्यों के सहभागिता सिंचाई प्रबंधन पर नीतिगत मामलों और दिशा-निर्देश पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय कार्यकारी दलों के गठन का परामर्श दिया है । जल संसाधन मंत्रालय ने सहभागिता सिचांई प्रबंधन पर तीन भाषाओं में मैन्युअल तैयार किया है । किसान संगठनों को वैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से सिचांई अधिनियम के संशोधन संबंधी माडल मसौदा तैयार किया गया है । जल संसाधन मंत्रालय विभिन्न राज्यों और अन्यदेशों तथा गैर-सरकारी संगठनों को सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के विषय में बहुत तेजी से सूचना का प्रचार-प्रसार कर रहा हैं ।

नई दिल्ली में 20 से 22 जनवरी,1997 तक आयोजित सहभागिता सिंचाई प्रबंधन में राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारशें

भारत सरकार

1.सहभागिता सिंचाई प्रबंधन को सरकारी संकल्प द्वारा शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्पष्ट विवरण तैयार करने की आवश्यकता है ।

2.सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश देने और नीतिगत सकंल्प का मसौदा तैयार करने के लिए सरकारी अधिकारियों,गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और किसानों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय कार्यकारी दल गठित करना ।

राज्य स्तर

1.राज्यों में छोटे संगठनों के साथ उच्च स्तरीय कार्यकारी दलों के गठन की आवश्यकता ताकि राष्ट्रीय कार्यकारी दल सहभागिता सिंचाई प्रबंधन को एक नीतिगत दस्तावेज के रूप में अपनाने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश देने के साथ-साथ राज्य सरकारों के संकल्पों का मसौदा तैयार करने में सहायता दे सके ।

2. सहभागिता सिंचाई प्रबंध के कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी का गठन

सिंचाई विभाग में संरचनात्मक परिवर्तन

सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के कार्यक्रम का बेहतर कार्यान्वयन करने के लिए सिंचाई अभिकरण के संगठन में उचित स्थानों पर सामाजिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र जैसे अन्य विषयों को शामिल करना ।

जागरूकता

संघ सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रचार माध्यमों तथा जन जागरूकता की तकनीकों का उपयोग करके सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के बारे में किसानों तथा संघ और राज्य सरकारों के अधिकारियों में जागरूकता पैदा करना जल संसाधनों के विकास से जुड़ी सिंचाई अभिकरण,जल एंव भूप्रबंधन संस्थान तथा अन्य संस्थानों का इस उद्देश्य से उपयोग किया जा सकता हैं ।

पुनर्वास

प्रणाली की पुनर्वास अच्छी एंव चालू स्थिति में होनी चाहिए । जल प्रयोक्ता संघ को प्रणाली के हस्तांतरण के लिए पुनर्वास एक शर्त नहीं होनी चाहिए बल्कि यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि इसे उचित समय के भीतर ही शुरू कर दिया जाएगा । पुनर्वास की लागत भारत सरकार,राज्य सरकारों और जल प्रयोक्ता संघों को वहन करनी चाहिए ।

विधिक परिवर्तन:

जल प्रयोक्ता संघों को विधिक स्तर प्रदान करने के लिए राज्य सिंचाई अधिनियमों में संशोधन ।

गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओस) की भूमिका

गैस सरकारी संगठनों को किसानों को संगठित और क्रियाशील बनाने में लगाना । गैर सरकारी किसानों को संगठित और क्रियाशील बनाने के लिए विभागीय स्टाफ को भी प्रशिक्षित कर सकते हैं ।

प्रशिक्षण

सिंचाई अभिकरण के अधिकारियों,किसानों,जल प्रयोक्ता संघों के कार्यकर्त्ताओं और गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षण देना । सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के संबंध में जल और भूमि प्रंबध जैसी मौजूदा प्रशिक्षण संस्थाओं को क्षमता बनाने और उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ।

मोनीटरिंग और मूल्यांकन

कार्यक्रम के कार्यन्वयन में सुधारात्मक उपाय करने के लिए मानीटरिंग और मूल्यांकन की आवश्यकता/गुणात्मक और मात्रात्मक मानीटरिंग के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ।

महिलाओं की भागीदारी

यह महसूस किया गया कि महिलाओं की भागीदारी के बिना सामाजिक परिवर्तन का कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता । अतः सहभागिता सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम में महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए ।

आठवीं योजना में सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण

1025.**श्री गोपाल सिंह जी.सोलंकी**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु 28391.79 करोड़ रूपये का प्रावधान किया था;

(ख) यदि हां,तो क्या उक्त अवधि के दौरान यह राशि खर्च की गई थी;

(ग) यदि नहीं,तो मार्च-अक्तूबर,1997 तक खर्च पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि जारी की गई ;और

(घ) धनराशि के कम आंबटन से कौन-कौन सी चालू सिंचाई परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी,हां ।

(ख) (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और लघु सिंचाई स्कीमों के लिए मार्च,1997 तक 27662.34 करोड़ रू.(अनंतिम) खर्च होने का अनुमान हैं ।

(घ) योजना आयोग द्वारा नौंवी पंचवर्षीय योजना के लिए वृहत और मध्यम सिंचाई कार्यक्रम पर गठित कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार निधियों के अपर्याप्त आबंटन सहित विभिन्न विभिन्न कारणों से 119 वृहत सिंचाई परियोजनाएं,176 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं तथा 67 पुरानी परियोजनाओं का विस्तार,नवीकरण और आधुनिकीकरण (ई आर एम) पिछली योजनाओं से नौंवी पंचवर्षीय योजना में लाया गया हैं ।

भूमिगत जल स्तर में गिरावट

1026.**श्री गोपाल सिंह जी.सोलंकी**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत दो दशकों से विभिन्न राज्यों में भूमिगत जल स्तर में निरंतर गिरावट आई है और इसके परिणामस्वरूप पेयजल,सिंचाई और खेती के लिए सुरक्षित जल के लिए जुटाये जाने वाले संसांधनों की स्थिति विकट हो गई हैं;

(ख) निरंतर गिरते भूमिगत जल स्तर के परिणामस्वरूप कुछेक राज्यों में अकाल की संभावना बढ़ गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए अब तक कोई दीर्घकालिक योजना तैयार की है;और

(घ) क्या सरकार ने भूमिगत जल संसाधनों संबंधी कोई अन्वेषण कार्य किया हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री सोमपाल) : (क) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किये गये दीर्घकालीन प्रेक्षणों से देश के विभिन्न भागों में भूजल के स्तर में वृद्वि और गिरावट दोनों स्थितियों का पता चला है । पेय और सिंचाई/कृषि प्रयोजनों के लिए भूजल संसाधनों की स्थिति एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न-भिन्न है यह स्थिति स्थिर भूजल रिजर्व,विकास का स्तर और वर्षो जल के जरिए सामान्य भराई पर निर्भर करता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण,इसके विकास और उपयोग की आयोजना,वित्त पोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । केन्द्र सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों द्वारा किये गये प्रयासों को पूरा करती हैं

(घ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा देश के भूजल संसाधनों को मूल्यांकन करने और अनुमान लगाने के लिए अध्ययन/अनसंधानों के परिणाम रिपोर्टो,मानचित्रों और भूजल एटलस के रूप में दर्ज़ किये गये हैं और राज्य सरकारों तथा अन्य अभिकरणों को उनके प्रयोग के लिए उपलब्ध कराये जाते हैं ।

Inter-State River Water Dispute

1027. SHRI RAJUBHAI A PARMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) for how long each of the Inter-State' river water dispute will continue to